न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

जाफर खाँ आदि बनाम मुस्ताक आदि

किस्म मुकदमा 223 मु. नं0 48 वर्ष 2018

18-7-18 वकुलाये फरीकैन उपस्थित । मय अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त बहस अपील उभयपक्षों की सुनी गई ।

बहस बगौर समाअत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि पत्रावली अन्तिम बहस की स्टेज पर है ही नहीं। अदालत मातहत ने दावे में अपनाई जाने वाली विधि व विधिक प्रक्रिया को बिना अपनाये खारिज किया है। जिसको हम अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	मानते हैं कि वह प्रकरण में दावे में अपनाई जानेवाली विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-5-16 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाता है कि वह दावे में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 30-8-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 18/7/18 (धर्मपाल अहलावत) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	